रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2010/भाद्र 18, 1932

No. 506] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2010/BHADRA 18, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 741(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग में वरिष्ठ पोस्टमास्टर—समूह ख—राजपत्रित, पोस्टमास्टर ग्रेड "III और II"—समूह ख गैर राजपत्रित पोस्टमास्टर ग्रेड I समूह ग गैर राजपत्रित की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, वरिष्ठ पोस्टमास्टर (समूह ख राजपत्रित), पोस्टमास्टर (ग्रेड-III और II—समूह ख गैर-राजपत्रित) और पोस्टमास्टर (ग्रेड I समूह ग गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 होगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और कथित पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **प्रारंभिक विधान.** अनुसूची के कॉलम 1 में क्रम सं. 1, 2, 3, 4 में उल्लिखित पदों का प्रारंभिक विधान कथित अनुसूची के कॉलम (11) में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसके पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और व्यावृत्ति—अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	क्या सेवा नाम में जोड़े गए वर्षों का लाभ देय है।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होती है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. वरिष्ठ पोस्टमास्टर	116 (2010)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित-लिपिकवर्गीय)	9300-34800/- रु. (पीबी-2) ग्रेड वेतन 4800/- रुपये	चयन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि; यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धति द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13	14
लागू नहीं	25.00% प्रोन्नति द्वारा 75.00% प्रोन्नति सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रारंभिक विधान वेतन बैंड-2 में और 4800/-रु. के ग्रेड वेतन(संशोधन पूर्व 7500-12000 रु.) वाले डाक सेवाएं समूह 'ख' के नियमित	प्रोन्नति 25% प्रोन्नति: 9300-34800 रु. के वेतन बैंड-2 में तथा 4600 रु. के ग्रेड वेतन वाले तथा इस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा प्रदान कर चुके पोस्टमास्टर ग्रेड-III(उच्चतर चयन ग्रेड-I में नियमित सेवा सहित, यदि कोई हो)। 75% प्रोन्नति(सीमित विभागी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से):	समूह (ख) विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) (1) सदस्य (कार्मिक) -अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (कार्मिक)- -सदस्य (3) निदेशक (स्टाफ)- -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

	पदधारक अधिकारियों को प्रारंभिक विधान के अंतर्गत इन नियमों के प्रारंभ के समय वरिष्ठ पोस्टमास्टर के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। एक स्क्रीनिंग समिति ऐसे अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करेगी। इस समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:- (1) सदस्य (कार्मिक) -अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक (कार्मिक)- -सदस्य (3) निदेशक (स्टाफ)- -सदस्य	9300-34800 रु. के वेतन बैंड-2 मे तथा 4200 रु. के ग्रेड वेतन वाले डाक निरीक्षक जिन्होंने सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद छह वर्षो की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पणी 1: इस परीक्षा का कार्यक्रम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार निर्धारित होगा। टिप्पणी -2 जहां कहीं ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के मामले पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा वहां उनके वरिष्ठों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने यह अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी -3 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा का परिकलन करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है) से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. पोस्टमास्टर ग्रेड-III	495 (2010)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (गैर राजपत्रित-लिपिकवर्गीय)	9300-34800/- रु. (पीबी-2) ग्रेड वेतन 4600/- रुपये	चयन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

10	11	12	13	14
लागू नहीं	प्रोन्नति प्रारंभिक विधान डाकघरों में नियमित आधार पर 9300-34800 रु.+ 4600/-रु. के ग्रेड वेतन(संशोधन पूर्व 6500-10500 रु.) के वेतन बैंड-2 में उच्चतर चयन ग्रेड के पदधारक अधिकारियों को इन नियमों के प्रारंभ के समय पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। एक स्क्रीनिंग समिति ऐसे अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करेगी जो इन नियमों के प्रारंभ के समय पोस्टमास्टर ग्रेड -III के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे। इस	प्रोन्नति 9300-34800 रु.+ 4200 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-2 में तथा इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान कर चुके पोस्टमास्टर ग्रेड-II(उच्चतर चयन ग्रेड-I में नियमित सेवा सहित, यदि कोई हो)। टिप्पणी -1 जहां कहीं ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के मामले पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा वहां उनके वरिष्ठों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने यह अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) (1) निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) -अध्यक्ष (2) विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी - -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

	समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:- (1) निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) -अध्यक्ष (2) विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी - -सदस्य	टिप्पणी -2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा का परिकलन करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है) से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी वेतन/ वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. पोस्टमास्टर ग्रेड-II	511 (2010)' कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (गैर राजपत्रित-लिपिकवर्गीय)	9300-34800/- रु. (पीबी-2) ग्रेड वेतन 4200/- रुपये	चयन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

10	11	12	13	14
दो वर्ष	प्रोन्नति प्रारंभिक विधान डाकघरों में नियमित आधार पर 9300-34800 रु.+	प्रोन्नति 5200-20200 रु.+ 2800 रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 1 में तथा ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा प्रदान कर चुके पोस्टमास्टर ग्रेड-I (जिसमें चयन ग्रेड में नियमित सेवा सहित यदि कोई हो)।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) (1) निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) अध्यक्ष (2) विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

3553 GI/10-2

4200/-रु. के ग्रेड वेतन (संशोधन पूर्व 5000-8000 रु.) के वेतन बैंड-2 में उच्चतर चयन ग्रेड -।। के पदधारक अधिकारियों को प्रारंभिक विधान के अंतर्गत इन नियमों के प्रारंभ के समय पोस्टमास्टर ग्रेड -।। के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। एक स्क्रीनिंग समिति ऐसे अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करेगी जो इन नियमों के प्रारंभ के समय पोस्टमास्टर ग्रेड -।। के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे। इस समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:- (1) निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) -अध्यक्ष (2) विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी - -सदस्य	टिप्पणी 1 जहां कहीं ऐसे कनिष्ठो, जिन्होने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के मामले पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा वहां उनके वरिष्ठों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने यह अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी -2 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा का परिकलन करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है) से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।	समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी -सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. पोस्टमास्टर ग्रेड-1	2097 (2010)* कार्यभार के आधार पर परितर्वन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (गैर राजपत्रित-लिपिकवर्गीय)	5200-20200/- रु. (पीबी-1) ग्रेड वेतन 4200/- रुपये	चयन द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

10	11	12	13	14
दो वर्ष	प्रोन्नति सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रारंभिक विधान डाकघरों में नियमित आधार पर 5200-20200 रु.+ 2800/- रु. के ग्रेड वेतन (संशोधन पूर्व 4500-7000 रु.) के वेतन बैंड-। में निम्न चयन ग्रेड के पदधारक अधिकारियों को प्रारंभिक विधान के अंतर्गत इन नियमों के प्रारंभ के समय पोस्टमास्टर ग्रेड -। के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। एक स्क्रीनिंग समिति ऐसे अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करेगी जो इन नियमों के प्रारंभ के समय पोस्टमास्टर ग्रेड । के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे। इस समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:	**प्रोन्नति** 5200-20200 रु.+ 2800 रु. ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में तथा इस ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा प्रदान कर चुके पोस्टमास्टर ग्रेड-।(निम्नतर चयन ग्रेड में नियमित सेवा सहित, यदि कोई हो)। टिप्पणी 1: इस परीक्षा का कार्यक्रम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार निर्धारित होगा। टिप्पणी -2 जहां कहीं ऐसे कनिष्ठो, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के मामले पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाएगा वहां उनके वरिष्ठों के मामले पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठो, जिन्होंने यह अर्हक/पात्रता	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) (1) निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) -अध्यक्ष (2) विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी - -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

	(1) निदेशक डाक सेवाएं (मुख्यालय) -अध्यक्ष (2) विभाग के वरिष्ठ समयमान/कनिष्ठ समयमान अथवा समकक्ष स्तर के दो अधिकारी - -सदस्य	सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी -3 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा का परिकलन करने के प्रयोजन से किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा प्रदान किया गया है) से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तदनुरूपी वेतन/ वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।		

[फा. सं. 137 03/2009 एसपीबी-II]

वी.सी. काजला, निदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi the 9th September, 2010

G.S.R. 741(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Postmaster-Group B Gazetted, Postmaster Grade 'III and II'-Group B non-Gazetted and Postmaster Grade I-Group C non-Gazetted in the Department of Posts, namely:—

1. Short title and Commencement. -- (1) These rules may be called the Department of Posts, Senior Postmaster (Group B Gazetted), Postmaster (Grade 'III and II'-Group B non-Gazetted) and Postmaster (Grade I-Group C non-Gazetted) Recruitment Rules, 2010.

   (2)They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. Number of post, their Classification and Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay.-- The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule, annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule.
4. Initial Constitution: Initial constitution for the posts mentioned at serial number 1 2,3,4 in column 1 of the Schedule shall be as specified respectively in column 11 of the said Schedule.
5. Disqualification.-- No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

   shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. Power to relax .--Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons in consultation with the Union Public Service Commission
7. Saving .--Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Senior Postmaster	116 (2010)* *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' (Gazetted-Ministerial)	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade pay Rs.4800/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
Not applicable	25.00% promotion. 75.00% promotion through Limited Departmental Competitive Examination. Initial Constitution Officers who are holding the post of Postal Services Group 'B' in PB-2 and Grade Pay of Rs4800/- (Pre-revised Rs.7500-12000) on regular basis shall be given an option to apply for appointment as Senior Postmaster at the commencement of these rules	Promotion 25% Promotion: Postmaster Grade-III in PB-2 of Rs.9300-34800 and Grade Pay of Rs.4600/- with two years regular service in the grade (including regular service in Higher Selection Grade-I, if any). 75% promotion (through Limited Departmental Competitive Examination): Inspectors of Posts in PB-2 of Rs.9300-34800 and Grade Pay of	Group 'B' Departmental Promotion Committee (For considering promotion): 1. Member (Personnel) - Chairperson 2. Deputy Director General (Personnel) - Member 3. Director(Staff) -Member.	Consultation with UPSC not necessary

the commencement of these rules under the initial constitution. A screening Committee consisting of the following will assess the suitability of such officers:- 1. Member (Personnel) - Chairperson 2. Deputy Director General (Personnel) - Member 3. Director (Staff) - Member	Rs.4200/- with six years regular service in the grade after qualifying a Limited Departmental Competitive Examination. Note 1: The scheme of the examination shall be as per administrative instructions issued by the Department from time to time. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Postmaster Grade-III.	495 (2010)* * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B' (Non Gazetted Ministerial)	Rs.9300-34800 (PB-2) Grade pay Rs.4600/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12	13	14
Not applicable	Promotion. Initial constitution Officers holding the post in Higher Selection Grade-I in PB-2 of Rs.9300-34800/- Grade Pay Rs.4600 (Pre-revised Rs.6500-10500) on regular basis in Post Offices shall be given option for appointment to the post on the commencement of these Rules. A Screening Committee consisting of following shall assess the suitability of officers who apply for appointment as Postmaster Grade-III at the commencement of these rules:- 1.Director of Postal Services (Headquarters) - Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department. - Members	Promotion Postmaster Grade-II in the pay band-2 of Rs. 9300-34800 +Grade pay of Rs.4200/- with five years regular service in the Grade (including regular service in Higher Selection Grade –II, if any). Note:1 Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility the service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'B' Departmental Promotion Committee consists of:- 1. Director of Postal Services (Headquarters) - Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department -Members.	Consultation with UPSC not necessary.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Postmaster Grade-II.	511 (2010)* * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' (Non-Gazetted-Ministerial).	Rs.9300-34800/- (PB-2) Grade pay Rs.4200/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12	13	14
Two years	Promotion. Initial constitution: Officers holding the post in Higher Selection Grade-II in PB-2 of Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4200/- (pre-revised Rs.5000-8000) on regular basis in Post Offices shall be given an option to apply for appointment as Postmaster Grade-II at the commencement of these Rules under the initial constitution. A Screening Committee consisting of following shall assess the suitability of officers who apply for appointment as Postmaster Grade-II at the commencement of these Rules: 1. Director Postal Services (Head Quarters) - Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department - Members	Promotion Postmaster Grade-I, in the pay band 1 of Rs. 5200-20200 +Grade pay Rs.2800/- with six years of regular service in the Grade including regular service, if any, in Lower Selection Grade. Note 1 Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying	Group 'B' Departmental Promotion Committee consists of 1. Director of Postal Services (Headquarters) – Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department.- Members.	Consultation with UPSC not necessary.

3553 GI/10-4

		service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Postmaster Grade-I.	2097 (2010)* *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted-Ministerial)	Rs.5200-20200 (PB-1) Grade Pay Rs.2800/-	Selection.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

10	11	12	13	14
Two Years	Promotion through a Limited Departmental Competitive Examination. Initial Constitution Officers who are holding the post in Lower Selection Grade in PB-1 of Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.2800/- (Pre-revised Rs.4500-7000) on regular basis in Post Offices shall be given an option to apply for appointment as Postmaster Grade-1 at the commencement of these rules under the initial constitution. A	By promotion through Limited Departmental Competitive Examination, from amongst the Postal Assistants working in Post Offices in the pay band-1 and Grade Pay/ Scale of Pay of Rs.5200-20200+Grade Pay Rs.2400/- with five years of regular service in the grade. Note 1: The scheme of the examination shall be as per administrative instructions issued by the Department from time to time. Note 2: Where juniors who have	Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director of Postal Services (Headquarters) - Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department - Members	Consultation with UPSC not necessary.

	Screening Committee consisting of the following shall assess the suitability of officers who apply for the appointment as Postmaster Grade-I at the commencement of these rules,- 1.Director of Postal Services (Headquarters) - Chairperson 2. Two officers of the level of Senior Time Scale/ Junior Time Scale or equivalent of the Department . - Members	completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service. Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission		

[F. No. 137-03/2009-SPB-II]
V. C. KAJLA, Director (SPN)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-[illegible]
and Published by the Controller of Publications, Delhi-[illegible]